राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
259 / 1998 / वाद पत्र	12.08.1998	24.06.2017

उनवान

सम्पतलाल पिता कल्याण ब्राम्हण निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा
– वादी

बनाम

1– बदाम पत्नि जगदीश ब्राम्हण निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री गोपीचन्द वासवानी : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम रहड़ प0म0 रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के कृषि आराजी संख्या (पुराना) 404 / 9 त रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान नम्बर 761 रकबा 0.29 है0 कल्याणमल पिता रामकरण ब्राम्हण निवासी रहड़ के नाम दर्ज होकर उनका देवाहसान हो चुका है। उक्त आराजी कालू पिता रामकरण ब्राम्हण रहड़ की होकर जमाबन्दी संवत 2037–40 में दर्ज रेकार्ड है। कालूराम पिता रामकरण ब्राम्हण द्वारा उक्त आराजी पंजीबद्व विक्रय विलेख से 4500 / – रूपये मे दिनांक 10.12.1987 को अनोपबाई पत्नि कल्याणमल ब्राम्हण निवासी रहड़ को विक्रय करते हुए उप पंजीयक शाहपुरा के यहॉ विधिवत पंजीयन करा दिया। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1806 दिनांक 13.01.1988 के द्वारा अनोपबाई जोजे कल्याणमल ब्राम्हण निवासी रहड़ के नाम दर्ज कर दी गई। अनोप ने दिनांक 27.07.1989 को पंजीबद्व वसीयत नामा के द्वारा उनकी समस्त चल व अचल सम्पति मय वादग्रस्त कृषि आराजीयात के वादी सम्पतलाल के नाम कर दी व वसीयत मे यह भी उल्लेख किया गया कि कृषि आराजीयात जीते जी उनके पास रहेगी व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी ही इस कृषि आराजीयात का वारिस व काबिज होगा। तद्नुसार अनोपबाई की मृत्यु के पश्चात् वसीयत के आधार पर वादी ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज है। अनोपबाई की कृषि आराजीयात मे सहवन से वादी के पिता स्व0 कल्याणमल के नाम दर्ज कर दी जिसका कि राजस्व कर्मियों को कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 02 व उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मियों द्वारा इस आराजीयात का खाता कल्याणमल के नाम करना नितान्त अवैधानिक वादी के रूबरू उसकी उत्पत्ति से ही अकृत एवं शुन्य है। राजस्व कर्मियों की गलती से कल्याणमल के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज हो जाने से कल्याणमल द्वारा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्व वसीयत कर दी जो अवैधानिक होकर उसकी उत्पत्ति से ही अकृत एवं शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति जगदीश कृषि आराजीयात को लेकर वसीयत की आड मे वादी को बेदखल करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मियों से वादी ने वादग्रस्त आराजीयात का वसीयत के आधार पर नामान्तरकण उनके पक्ष मे खोलने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगणों के विरूद्व घोषणा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी को वाद पत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए तद्नुसार इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश प्रदान कराया जावे। वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान कराई जावे कि वादी की वसीयत सुदा पेरा संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व अपने परिजनों ऐजेन्टों नौकरों से करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.1998 को प्रतिवादी 1 की ओर अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने अण्डर टेंकिग लिया एवं 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये दिनांक 27.04.2000 को प्रतिवादी 1 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी जाकर प्रकरण जवाब/बहस प्रार्थना के नियत किया गया। दिनांक 19.03.2001 को अभिभाषक वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक प्रतिवादी को दी गई। दिनांक 07.08.2001 को उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस समयात की गई। दिनांक 28.05.2002 को प्रतिवादी नं0 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वादी के अभिभाषक को दी गई। प्रकरण दस्तावेज/कायमी तनकीयात के नियत किया गया। दिनांक 12.08.2002 को उभयपक्षों के अधिवक्ता ने कथन किया कि दफा 10 जा0दी0 का निस्तारण नही हुआ है। इस कारण उसका निस्तारण किया जावे। दिनांक 19.08.2002 को प्रकरण प्रार्थना पत्र 10 जा0दी0 के स्पष्टीकरण/बहस के नियत किया गया। दिनांक 19.03.2003 को प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दोनो मूल वाद 223/1997, 258/1998 एक साथ तारीख पेशियों पर अग्रिम कार्यवाही बाबत साथ साथ चलाये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 07.10.2003 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया ग्राम रहड तहसील शाहपुरा साबिक आराजी नम्बर 404/9 त रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा हाल नम्बर 761 रकबा 0.29 है0 श्रीमती अनोपबाई जोजे कल्याणमल ब्राम्हण निवासी रहड़ ने 27.07.1989 को पंजीयन वसीयत के उनकी समस्त चल व अचल सम्पति मय वादग्रस्त आराजीयात की वसीयत वादी सम्पतलाल के नाम कर दी, अनोपबाई की मृत्यु पश्चात् वादी ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज है, जिससे खातेदार काश्तकार घोषित कराने, इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है ? — जिम्मे वादी
2. आया विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? — जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

3. आया अनोपबाई ने वादी को कोई वसीयत नही की, अगर वसीयत की गई हो तो कल्याण के जीवनकाल मे वादी अनोप की मृत्यु पर अपने नाम कराता व कल्याण के नाम इन्तकाल खुलने पर एतराज करता व इसकी अपील करता, वसीयत फर्जी है ? — जिम्मे प्रतिवादी

4. दादरसी।

प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 17.10.2005 को वादी सम्पतलाल व रमेश चन्द्र के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो क्रमशः पी0डब्ल्यू0 – 1 व पी0 डब्ल्यू0 – 2 है। पी0डब्ल्यू0 – 2 से अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.07.2011 एवं वादी से 15.07.2013 को जिरह की गई। दिनांक 12.09.2013 को प्रतिवादी नं0 1 का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो डी0डब्ल्यू0 – 1 है जिरह अभिभाषक वादी द्वारा दिनांक 19.11.2014 को की गई। दिनांक 24.02.2015 को अभिभाषक प्रतिवादी ने प्रार्थनापत्र 65 साक्ष्य अधिनियम मय दस्तावेज पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी जाकर प्रकरण जवाब/बहस प्रार्थनापत्र साक्ष्य अधिनियम के नियत किया गया। दिनांक 15.12.2015 को अभिभाषक वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल प्रतिवादी के अभिभाषक को दी गई। प्रकरण साक्ष्य अधिनियम की बहस के नियत किया गया। दिनांक 21.09.2016 को बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र जैर दफा 65 साक्ष्य अधिनियम स्वीकार किया जाकर अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि को द्वितीयक साक्ष्य के रूप मे रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी के नियत किया गया। दिनांक 03.04.2017 को अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा हिदायत पैरवा नही होना जाहिर किया। प्रतिवादी स्वयं भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र रहड़ पर दिनांक 24.06.2017 को अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 24.06.2017 को बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी कालू पिता रामकरण ब्राम्हण के नाम दर्ज थी। उनके द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के बेचान 4500/– रूपये मे अनोप पत्नि कल्याणमल को किया गया। कल्याण व अनोप ने रजिस्ट्रर्ड वसीयत वादी सम्पत के पक्ष मे की गई। इस वसीयत की पालना नही हुई। अनोप की मृत्यु के पश्चात् विरासत से खाता उसके पति कल्याण के नाम दर्ज हो गया। कल्याण ने दूसरी व अन्तिम रजिस्ट्रर्ड वसीयत पुत्री मैना व पुत्रवधु बदाम के नाम कर दी जिसमे वादग्रस्त आराजी की वसीयत बदाम को की गई। वर्तमान मे उक्त दोनो ही वसीयत का अमल राजस्व रेकार्ड मे नही होने से जमाबन्दी संवत 2072–75 ग्राम रहड़ खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 761 रकबा 0.29 है0 कल्याणमल पिता रामकरण ब्राम्हण सा0 देह खातेदार के नाम ही दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। साबिक/हाल नम्बरों का मिलान क्षैत्रफल से मैल होता है। दूसरी वसीयत जो कल्याणमल द्वारा की गई उसके स्पष्ट लिखा है कि आ0न0 404/9 त रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा को उक्त श्रीमती बदाम को वसीयत की है। उक्त आराजीयात पर मेरे जीवित रहते तो मैं प्रथम पक्ष का ही मालिक रहूगॉ व मेरे मरने के बाद

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उक्त वसीयत गृहीता द्वितीय पक्षकार उक्त लिखित आराजी के मालिक होगे जो कि उनके नाम के आगे अंकित है। इस वसीयत नामे के पहले मैने कोई वसीयत उक्त आराजी के संबंध मे नही की यदि किसी ने लिखवा भी ली हो तो वह निरस्त समझी जावे। उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक सिद्वान्तों अनुसार अन्तिम वसीयत ही मान्य होती है। अतः वाद वादी सिद्व नही होने से खारिज किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 24.06.2017 को केम्प रहड़ पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

राजस्व लोक ... अभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

...स श्री के० आर० खौड, आर०ए०एस०

...लाल पिता कल्याण ब्राम्हण निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा – वादी

बनाम

1– बदाम पत्नि जगदीश ब्राम्हण निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर०टी०ए०
मुकदमा नम्बर 259/1998 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा०टी०ए० विरूद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध नही होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 06 सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)